तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 95/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00056) बउनवान सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

सोनाराम व अन्य

बनाम

पारसराम

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. रेस्पोडेंट एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 271/2013 अनवान सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम में पारित आदेश दिनांक 17 जून 2016 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 अगस्त 2016 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 811 रकबा 163.10 बीघा ग्राम पल्ली प्रथम अपीलांट्स की पैतृक खातेदारी की एवं कब्जा काश्त की भूमि है, जिस पर अपीलांट्स का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से की भूमि खरीद की गई है। रेस्पोडेंट बिना विधिवत विभाजन करवाये अपीलांट्स को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को बिना पक्षकारान् को सूचित किये लोक अदालत में रखकर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि अपार्थी द्वारा मामले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही प्रार्थीगण/अपीलांट के कथनों का खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की भूमि में दखलंदाजी करने तथा उन्हें बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2016 को खारिज फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रतीत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 10.10.2012 के मुताबिक रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 811 रकबा 163.10 बीघा के सहखातेदार श्रीमती केशरीदेवी धर्मपत्नी धूड़ाराम व धूड़ा पुत्र श्री रतनाराम से उनके नाम दर्ज क्रमशः 1/24 एवं 1/12 वा संपूर्ण हिस्सा की भूमि विशेष भू-भाग दर्शाते हुए खरीद किया जाना पाया जाता है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि को विशेष भू-भाग दर्शाकर क्रय नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि में विशेष भू-भाग पर कब्जा किया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सम्यक सूचना पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 95/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00056) बअनवान सोनाराम व अन्य बनाम पारसराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2016 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी में विशिष्ट भू-भाग को स्वयं का बताकर कब्जा करने का प्रयास नहीं करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	